[Shri Bhanu Pratap Singh]

even the minimum statutory price. Also the khandsari and gur manufacturing units which are already in difficulties will simply be liquidated if sugar price is further brought down.

श्री कल्याण जैन : एक भी खंडसारी की फ़ैक्टरी नहीं चल रही है। इन्दौर जिले में बीस खंडसारी फ़ैक्टरियां हैं और वे सब बन्द हैं। सरकार की वर्तमान शकर नीति के रहते हुए कोई भी खंडसारी फ़ैक्टरी नहीं चल सकती है। इस नीति के कारण सरकार करोड़ों किसानों का नुकसान कर रही है और साथ ही साथ खंडसारी फ़ैक्टरियों को भी बन्द कर रही है। इस लिए सरकार को अपनी शकर नीति को बदलना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him conclude.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: I was saying the same thing which he says. He said that the prices have come down to such a low level that khandsari units are finding it difficult to function. Therefore, any suggestions of further bringing them down would be disastrous. As far as the functioning of the khandsari units are concerned, this is under the control of the State Government. Regarding State Governments, some are doing better than some others. But I need not make a comment on that because it is a State subject.

SHRI KALYAN JAIN: It is not a State subject.

चीनी नीति केन्द्रीय सरकार निर्धारित करती है। गन्ने के भाव भी वही निर्धारित करती है।

श्री भानु प्रताप सिंह : गन्ने का भाव हम सिर्फ बड़ी फ़ैक्टरियों के लिए निर्धारित करते हैं।

I thing I have covered all the points. .

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: You did not say anything about the workers.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Regarding consumption of sugar I should like to clarify one point. Our sugar consumption per capita is low. But there are other sweetening agents in this country such as jaggery and khandsari and so on. If all those are taken into consideration, then, our consumption of sugar and other sweetening agents is comparable or slightly higher than the world average. Of course, it may not be comparable to the consumption of countries like Western Europe or America. But our consumption certainly is equal and comparable with certain other countries of the world.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

13.39 hrs.

PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the Payment of Bonus (Amendment) Act, 1977, be taken into consideration."

This is a Bill which seeks to replace the Payments of Bonus (Amendment) Ordinance, 1978 promulgated by the President on the 8th September, 1978.

You would recall, Sir, the statement which I made on the 22nd August 1978, in which I said that in view of the onset of the festival season, the Government had decided to maintain the status quo with regard to bonus for one more year. This meant that the minimum bonus of 8.33 per cent which had been restored soon after the present Government came to office, would continue to be paid regardless of profits for one more year. As it was not possible for a Bill to be introduced before the Session was adjourned, the President promulgated an Ordinance to give effect to the decision. The present Bill seeks to replace the Ordinance and thus protect the payments made in pursuance of the Ordinance.

While making the statement on the 22nd August last, I had said that there

are requests for restoration of the original provisions of Section 34, deletion of Section 34, inscribing the provision for payment of a minimum bonus of 8.33 per cent as a permanent feature of the Act, for extension of the Act to new areas and for changes in the formula in computation of bonus.

I am glad to tell the House that a Working Group has examined many of these suggestions. The Government is considering all the suggestions that have been received and I can say that the Government will shortly consult the representatives of the trade union organizations and the other interests concerned on the suggestions that have been made to formulate the permanent amendments to the Act that are necessary and conducive for industrial harmony and efficiency.

Meanwhile, I commend the adoption of the present Bill which follows the provisions of the Presidential Ordinance.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to amend the Payment of Bonus (Amendment) Act, 1977, be taken into consideration."

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 27th March, 1979"(3).

*SHRI K. RAMAMURTHY (Dharmapuri): Mr. Deputy Speaker, Sir, it has become a ritual that with the onset of festival season the Presidential Ordinance about bonus is proclaimed and later this House is asked to replace it with an amending Bill. Last year, I participated in the discussion on the Bonus (Amendment) Bill, and now I have risen to make a few remarks on the Bonus Amendment Bill under discussion.

The Hon. Minister of Labour, in his introductory remarks, stated that through this amending Bill the payment of minimum bonus of 8.33 per cent is ensured, regardless of profit, and he added that the Government is formulating proposals to inscribe in the Bonus Act the provision of payment of minimum bonus as a permanent feature. I welcome the hon. Minister's declaration that he would soon initiate discussions with labour representatives about the new areas to be brought under the purview of labour law in the light of suggestions made by the Working Group for ensuring both industrial harmony and increased production, besides the long-awaited amendment for changing the formula of computation of bonus.

I am sure, that the hon. Minister of Labour known for his verve and vigour, would be taking expeditious action to bring as early as possible a comprehensive Bonus Amendment Bill. The workers who are at the moment outside the purview of Bonus Law must soon get statutory protection for getting bonus. The hon. Minister is aware of the indisputable fact that the number of workers outside the purview of bonus law is larger than that of workers getting the minimum bonus.

I would like to narrate how the present Bonus Act is ineffective in ensuring the interests of workers. In 1974, the management of India Cements declared 20 per cent bonus when the production was 80 per cent of the installed capacity. Now, when the production has gone beyond 120 per cent this year mainly due to the sweat and toil of labour, the workers have been given only the minimum rate of bonus. I do not know whether the loopholes in the law are being exploited by the management or the manoeuvrings of the Auditors who in our country are called the Christ and Muhammed Nabi and them to practice deception on the workers. The present Bonus law is outmoded. It is not in consonance with the conditions prevalent now in the country. In Coimbatore, after successful tripartite talks

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri K. Ramamurthy]

in which the workers, the management and the Government joined, it was unanimously decided that bonus at a particular rate would be given. Yet, it was left to the workers to strike for getting the bonus from the management. The concept of collective bargaining has been thrown to the winds. I would refer to another thing, which is disturbing the industrial climate in the country. The Textile Mills in the country were giving more than 20 per cent bonus. But the provisions of the present Bonus law prohibit them from paying bonus at a higher rate than that prescribed by law. I would like to stress here that the allocable surplus formula does not reflect the needs and temper of the day. A high level committee should be constituted to suggest amendments to the Bonus law in order to make it more beneficial to the workers. Take for example the provision of Rs. 100 as the minimum bonus or 8.33 per cent. Even the agricultural workers get more than Rs, 100 as wageg, since the minimum wages have been enhanced. I am constrained to say that this minimum of Rs. 100 or 8.33 per cent is a ruse played on the workers. I request the hon. Minister of Labour that he should enhance the basic minimum of Rs. 100.

Before coming to power, the Janata Party made a public commitment that bonus is a deferred wage. I hope that now the Janata Party Government would ensure that bonus is paid to all the labour force in the country. The minimum bonus of 8.33 per cent should become a permanent feature. The Bonus law, which is not in tune with the needs of the day must be modified forthwith and I request the hon. Minister of Labour to constitute a high-level committee to consider all the aspects of the matter and come to certain definite decisions.

With these words, I support this Bonus Amendment Bill and resume my seat.

श्री युवराज (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, बोनस की प्रणाली का श्रीगणेश पिछले महायुद्ध के समय जब बढ़ती हुई मंहगाई आई और उस के कारण सभी मजदूरों और निम्न आय वालों के सामने जब बहुत परेशानी पैदा हुई तो उसी समय से ही इस बोनस प्रथा का प्रारम्भ हमारे देश में हुआ था। सोवियत संघ में भी 13वें मास का वेतन बोनस के रूप में दिया जाता है। ऐसे देश में जहां की अर्थ-व्यवस्था काफी नियंत्रित है और जहां वितरण पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण होता है ऐसे देश की अर्थ-व्यवस्था पर इस का कोई असर नहीं होता। बोनस के प्रश्न पर आप देखेंगे—यद्यपि यह बहुत उलझा हुआ प्रश्न है, लेकिन हम लोगों ने यह कुबूल किया है—अपने घोषणा पत्र में—कि जनता पार्टी बोनस को विलम्बित-वेतन के रूप में स्वीकार करती है, अगर हम इस घोषणा से बन्धे हुए हैं तो इस के क्रियान्वयन से ही ये सारी दिक्कते दूर की जा सकती हैं। लेकिन आज रेलवे के कर्मचारी इस से अलग रखे गये हैं और न केवल रेलवे के कर्मचारी, बल्कि रक्षा उत्पादन, डाक-तार, टकसाल-मुद्रणालय-इस सब के कर्मचारियों को इस से अलग रखा गया है। यदि हम अपने घोषणा पत्र के इस विलम्बित-वेतन के सिद्धान्त को क्रियान्वित करें तो तमाम समस्याओं का निराकरण हो जायगा और जो हमारी सब से बड़ी पब्लिक अण्डरटेकिंग है—रेलवे के 13 लाख मजदूर, यदि कैजुअल लेवर को भी मिला लें तो उन की संख्या 18–19 लाख के करीब हो जाती है, जिन मजदूरों के बल पर देश का आवागमन चलता है, एक छोर से दूसरे छोर तक जिन के द्वारा सारी चीजें आती-जाती हैं, रक्षा का सारा काम भी रेलवे के द्वारा होता है, हमारी फौजें और उस का सामान एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, लेकिन रेल्वे के मजदूरों के साथ हमारा जो वचन था, 1974 की हड़ताल के मौके पर हम ने उन के साथ जो वायदा किया था, आज हम अपने उस वायदे से पीछे हट रहे हैं।

आप को यह जान कर ताज्जुब होगा— अभी हाल में इन्दौर में रेल्वे मेन्स संगठन के नेतृत्व में जो सम्मेलन हुआ था, उस में भी इस सवाल पर काफ़ी बातें हुई थी। वहां पर यह कहा गया कि यह हमारे लिये एक सिद्धान्त का प्रश्न है—एक तरफ़ वेतन में इतनी विषमता है और दूसरी तरफ़ बोनस का सवाल है। वेतन के इस अन्तर को दूर करने के लिये ही हमें 800 करोड़ रुपये की जरुरत पड़ेगी। जो हमारे अन्दर इस 800 करोड़ रुपये को चुकाने की क्षमता न हो और सिद्धान्त रुप में हम इस को भी कुबूल करते हैं तो इस सब को हम कैसे चुका सकते हैं। इस अन्तर को दूर करने क प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। इस के लिये मंत्री मंडल की एक उप समिति का निर्माण किया गया है जो इस मामले पर विचार कर रही है, कौन-कौन सी समस्यायें उस के सामने हैं—मैं नहीं जानता। भूतलिगम समिति ने भी बोनस को एक दीर्घकालीन ढंग से चलाने के लिये सुझाव दिया है और इन के मंत्री मंडल ने भी पांच वर्ष के लिये बोनस की नीति को तय करने के लिये फैसला किया है, तब फिर हमारे जो मजदूर रेलवे में, डाक तार विभाग में, रक्षा संस्थानों में या टकसाल मुद्रणालय में काम करते हैं, उन को बोनस देने से क्यों वंचित किया जा रहा है, इस में क्या परेशानी है, इस में कितना पैसा लग जायगा ? जिन संस्थाओं को इस देश को सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है—उन के मजदूरों को असन्तुष्ट

कर हम देश के निर्माण के काम को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम श्रमिकों की साझेदारी की बात करते हैं। यदि हम बोनस के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, तभी मजदूरों की साझेदारी की बात सार्थक हो सकती है। जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के द्वारा इस बात को कुबूल किया था कि हम बोनस के सिद्धान्त को विलम्बित-वेतन के रूप में स्वीकार करते हैं--तब फिर हमें अपने उस वायदे को पूरा करना चाहिये।

दूसरी बात मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक उद्योगों और विभागीय उद्योगों के कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के अन्तर को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार की जो राशि लगेगी, भारत सरकार को 800 करोड़ रुपया दे कर भी 50--60 लाख मजदूरों को सन्तुष्ट रखना चाहिये और इस से नुकसान नहीं होगा। इस धनराशि से हम उन के अतिरिक्त बोझ को कुछ हल्का कर सकते हैं। इस में केवल बोनस का प्रश्न निहित नहीं है, हम इसके द्वारा उन के थोड़े बोझ को हल्का करना चाहते हैं। आप इस सिद्धान्त से सहमत हैं कि मजदूरों को बोनस मिलना चाहिये, तो हमें इस सार्वजनिक या विभागीय क्षेत्र के श्रमिकों के लिये सिद्धान्त को कुबूल करना चाहिये यह एक बड़ी उपलब्धि होगी हमारी और इस दिशा में हम को कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अन्य देशों में--न केवल रूस में ही बल्कि इंग्लैंड जैसे लोकतांत्रिक देश में भी--किसी की नियुक्ति बगैर ट्रेड यूनियन की सम्मति के नहीं हो सकती। किसी भी प्रतिष्ठान में, किसी भी सरकारी संस्थान में वहां की गवर्नमेंट ट्रेड यूनियन की उपेक्षा कर के नहीं चल सकती है। हमारे यहां अगर रेल से किसी को निकालना हो तो निकाल दो, डाक तार के मजदूर अपनी मांग पेश कर नहीं मनवा सकते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकालने या अलग करने की धमकी दी जाती है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि हमने जो वचन दिया है, अपने घोषणापत्र द्वारा जनता से जो वायदा किया है कि हम बोनस को विलम्बित वेतन मानेंगे, उस नीति को हमें स्वीकार करना चाहिए और इस के सभी व्यावहारिक पहलुओं को स्वीकार कर के प्रतिरक्षा विभाग में या अन्य विभागों में जो मजदूर काम करते हैं जिनको बोनस नहीं मिलता है, उनको भी बोनस दिया जाना चाहिए। सरकार को इस वेतन नीति को स्वीकार कर के मजदूरों को बोनस देने की नीति पर तुरन्त अमल करना चाहिए।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): This has become a usual practice that the Minister has to move a Bill to make a law to assess the minimum quantum of bonus to be passed through. Last time also we appealed to the hon. Minister—instead of making a piece meal enactment on the bonus question, he must come forward with a legislation which may be meant for years to come. May be, because of the inner contradiction of the party in power or because of the reactionary elements which try to dominate the Janata Party, they have been forced to go with a piece meal legislation.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj): There is no reactionary mind this side.

SHRI VAYALAR RAVI: Again we have to argue or repeat the arguments that the Bonus Act, when you are making an enactment, must not be brought forth from the years which have already passed, but it should be made as a permanent settlement especially in regard to the minimum quantum of bonus. The working class are put up with the situation to-day where they cannot raise a demand for more than 8-1/3 per cent. During emergency, as every one knows, the right of the workers to claim bonus as a right had been taken away. Now a new theory of allocable surplus has been introduced. After introducing the allocable surplus theory, the quantum has come down to 4 per cent minimum from 8-1/3 per cent. After the Janata Party Government came to power, as promised in their manifesto, they had to be forced by the Parliament itself because there was reluctance on their part. Whereas the Kerala Government came forward and announced unilaterally 8-1/3 per cent during Onam season. We have seen that they succumbed to the pressure of the working class to declare 8-1/3 per cent as the minimum bonus. This is not a point. 8-1/3 per cent has been existing for the last many years. It was taken away in 1966-67. Now the demand of the working class is that the quantum should be increased. This is a point. Instead of thinking of increase, you are putting us in a difference. People working in the trade union fronts, who are in the difference, have only to make a demand not to maintain at 8-1/3 per cent but to increase it. So, I would make a demand

[Shri Vayalar Ravi]

through you to the hon. Minister that this must go up and we must get minimum bonus—the working class should get more than 8-1/3 per cent. That is the demand I make.

Instead of coming with a piece meal legislation and saying that we restore 8-1/3 per cent or we are going to continue with 8-1/3 per cent as the minimum bonus, I would make a demand from the hon. Minister to consider and convene a meeting of the Central Trade Unions and discuss it.

14 hrs.

[SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN *in the Chair*]

I do not want to say this much percentage, but I demand the minimum must be more than 8-1/3 per cent. The time has come and the trade unions are demanding you to reconsider it. Even now the problem is, we are negotiating the question of bonus with many managements. It is very convenient for the management to say, "we do not have the profits and we cannot give more". I can give one or two examples. I am the President of a firm and last year I could get more than 20 per cent—22 per cent. I hope income-tax people will not prosecute me. That firm have got a branch near the constituency of the Chairman—in Mettur. (*Interruption*).

MR. CHAIRMAN: It is nearer to Mr. Ramamurthy's constituenty!

SHRI VAYALAR RAVI: It is a chemical company. Their profit has gone up to Rs. 76 lakhs today. This was made possible by the hard work put in by the workers and not because of increase in the price. Even today the negotiations are going on with the management. They are telling me. "We cannot give you more than 20 per cent" though last year we got 22 per cent. Naturally, the working class are asking, "Why should we work more and produce more? Even though we worked hard and increased the profits from Rs. 12 lakhs to 76 lakhs, the management is not prepared to increase the quantum of bonus by even 2 or 3 per cent." So, the ceiling on the maximum bonus should go. The Minister must understand the psychology of the workers. The incentive to put in hard work is taken away by this ceiling. This ceiling on bonus has completely demoralised the workers. By putting this ceiling, you are making us to go on strike and resort to agitation on this matter. The Minister must appreciate this: When the management is prepared to give more, why are you standing in the way? In another company, of which also I am president, I get more than 20 per cent. In six factories where I have signed agreements, it is more than 20 per cent. It has gone up to 28 or 30 per cent. If the working class produce more and increase the profits of the company, when the management is prepared to give more bonus, the only stumbling block is not the Labour Minister but his enactment. Why should you receive this curse from the workers by putting this ceiling of 20 per cent? Being a good Minister, I say you should not bring this curse of the workers on you. Please take away the ceiling.

Now, bankmen have given a strike notice. I do not want to elaborate on it. There are many demands, but you cannot take away the right of the bankmen to get bonus. The demand of the bankmen to get bonus must come within the purview of the Bonus Act. Don't take it away. Bankmen are the most maligned working people in the country today. It is a very wrong impression that they are the highest paid. Please study the wage structure. They are not the highest paid people today. Unfortunately their pay revision is completely blocked by one organisation called the IBA—Indian Banks' Association, which has become the sole agent of the Indian banking management including the Government of India and it is standing in the way of the wage revision of the bankmen. The actvities of IBA which

represents even the nationalised banks are inviting trouble in the banking industry and paralysing the banking industry, resulting in the bankmen going on strike on 28th of this month.

MR. CHAIRMAN: 28th and 29th.

SHRI VAYALAR RAVI: It is going to be a big disaster for the Indian economy. One day I asked Mr. H. M. Patel personally, why did he invite that trouble. He said he was prepared to have a talk with them. I wish the Finance Minister will have a talk with them and will avoid this strike.

The Janata Party leaders including Shri George Fernandes led the Railway-men's strike in 1974 demanding bonus for them. He has been in the Government for the last two years. I do not know whether he is still in the Government because there is a rumour of his resignation. I want to ask what did he do for them. I want to ask the Janata Party Members and the Government, what are they doing today about their demand for bonus. Why cannot you give them bonus?

Lastly, there are about six lakh P&T workers in the country.

MR. CHAIRMAN: Kindly conclude now.

SHRI VAYALAR RAVI: Only one sentence. I request the Government to concede the demand of P&T employees for payment of bonus, because they are now earning profit.

I hope, the Minister will consider the demands of Railwaymen, bankmen and P&T employees, regarding bonus.

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय आप तो श्रमिकों की नेता रही हैं, लेकिन जो बोनस शब्द शब्द-कोष में है, उसका मतलब है कि ग्रैच्युटीअस रिलीफ। इसी कारणवश बोनस के सम्बन्ध में विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की बातें चली हैं और हम लोगों के मानस में भी है कि जब वेतन दिया ही जाता है तो ऊपर से बोनस क्या चीज है?

हमारी तरफ से जो श्रमिक यूनियनें हैं, उनकी तरफ से कहा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट वेज और लिविंग वेज की दूरी को पूरा करने के लिये बोनस दिया जाता है। तो भूतलिंगम समिति ने ही कहा है कि वेज को ही बढ़ा दिया जाये। लेनिन साहब ने भी बोनस के सम्बन्ध में अपने विचार रखे थे —

"Under conditions of socialism, material incentives, to achieve better result, combines common and individual interests."

In 1919 to establish plan of bread for high producitivity he said:

"Bonus should not be turned into a kind of supplementary wage and all claims of bonus should be allowed only when there is an increase in labour productivity."

यू० एस० ए० में भी जो पूंजीवादी देश है, वह बोनस को मुनाफे से रिलेट करते हैं। इंग्लैंड में भी बोनस

related to high productivity.

चाइना समाजवादी देश है, वहां भी बोनस इज

directly related to income and to work performance.

इसीलिये आज बोनस के सम्बन्ध में जब हम चर्चा करते हैं, तो हमारे माननीय साथी श्री युवराज जी ने भी कहा कि बोनस देना चाहिये। यह ठीक है, कि मैं तो ऐसा मानता हूं। कि लिविंग वेज और एक्चुअल वेज के बीच में जो दूरी रहती है, इसको हटाने के लिये बार्गेनिंग के लिये जितने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं। वह सिद्धान्त रूप में मिलने चाहिये। उनकी वेजेज को ही इतना बढ़ा दें कि बोनस के लिये जरूरत ही नहीं हो।

यह तो श्रम मंत्री को बधाई है कि मजदूरों पर जो कुठाराघात हुआ था, इमर्जेन्सी के समय में मजदूरों के अधिकारों को छीन लिया गया था, उनके बोनस को 8.33 प्रतिशत को 4 परसेंट किया, अब उन्होंने उसे दिया है। जनता पार्टी की सरकार बधाई की पात्र है कि उसने इसको रैस्टोर किया है। बोनस का इतिहास बहुत लम्बा है। 1921 में जब टैक्सटाइल वर्कर्स एसोसियेशन, अहमदाबाद, ने यह प्रश्न उठाया, तो पंडित मदन मोहन मालवीय को मध्यस्थ बनाया गया था, जिन्होंने बोनस की बात कही थी। 1947 में जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था, तो इंडस्ट्रियल कान्फ्रेंस हुई थी, इसमें भी बोनस की बात हुई थी। उसके बाद बोनस कमीशन एवं बोनस रीव्यू कमीशन बना।

डा० [रामजी सिंह]

अभी जब श्री युवराज बोल रहे थे, तो श्री राम विलास पासवान ने कहा कि डाक-तार और रेलवे कर्मचारियों को भी बोनस मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाइफ इनशोरेंस के कर्मचारियों को भी बोनस मिलना चाहिए। अब हम इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि हिन्दुस्तान में जो करोड़ों एग्रीकल्चरल लेबरर्ज हैं, उनके लिए न लिविंग वेज है और न बोनस है। केवल आर्गनाइज्ड लेबर की बात ही नहीं सोचनी चाहिए। जब हम श्रम मंत्री से बात करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह केवल आर्गनाइज्ड लेबर के ही मंत्री है। आज हमें यह निर्णय करना चाहिए कि बोनस के सम्बन्ध में मूलतः क्या सिद्धान्त होना चाहिए। मैं बोनस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बोनस के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में जो अराजकता है, मैं उसके खिलाफ हूं।

बोनस के सम्बन्ध में ये चार सिद्धांत हैं :—

(1) A device to bridge the gap between the actual and the living wage.

(2) An incentive for higher production.

(3) Recognition of the principle of co-partnership in industry.

(4) Means for better labour management relations.

माननीय सदस्य, श्री चित्त बसु, सिर हिला रहे हैं। अगर हम बोनस को डिवाइस "टू ब्रिज दि गैप बिटवीन दि एक्चुअल एंड लिविंग वेजिज" मानते हैं, जब हम बोनस को डेफर्ड वेज कहते हैं, तो फिर वेतन को ही बढ़ाना चाहिए। फिर बोनस की चर्चा नहीं होनी चाहिए।

मैं समझता हूं कि चीप पापुलेरिटी प्राप्त करने के लिए कुछ भी कहना आसान है, मगर जो कोई भी सरकार में आयेंगे, उनके लिए सभी लोगों को बोनस देना बहुत आसान नहीं होगा। आज हमें यह देखना होगा कि हमारे देश में जो कृषि मजदूर बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं, उन्हें क्या मिलता है और दूसरे लोगों को क्या मिलता है। जब तक हम इस दूरी को नहीं पाटेंगे और केवल आर्गनाइज्ड लेबर को ही लेकर चलते रहेंगे, तब तक हम देश का वास्तविक हित-साधन नहीं कर पायेंगे। लेनिन ने बोनस, "विद कमबाइन्ड कामन एंड इंडिविजुअल इन्ट्रेस्ट" की बात कही थी। इस लिए नेशनल इन्ट्रेस्ट को भी हमें देखना होगा। बोनस तो सब लोग मांगेंगे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह देश की सारी मजदूर यूनियनों के लोगों को बुलायें और कृषि मजदूरों, खेतिहर मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी बुलायें। आज राष्ट्रीय स्तर पर एक वेज पालिसी निर्धारित होनी चाहिए। यह क्या बात है कि लाइफ इनशोरेंस कार्पोरेशन और सीमेंट के कारखानों के कर्मचारियों को बोनस मिलता है, और वे उसको बढ़ाने की मांग करते हैं, मगर कृषि मजदूरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं किसी को बोनस देने का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जिन को कुछ नहीं मिलता है, उनके लिए कुछ न करना, और दूसरों के लिए करना, यह कहां तक राष्ट्र के हित में है, यह सोचना चाहिए।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर (बम्बई उत्तर-मध्य) : कामरेड सभापति महोदय, हमें खुशी है कि इस वक्त चेयर में कामरेड बैठी हुई हैं और मुझे आशा है कि हमारे लेबर मिनिस्टर पर इसका कुछ असर होगा। यह बिल तो एक मर्यादित बिल है। मंत्री महोदय ने पिछले साल बताया था कि हम एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाने वाले हैं। मैं नहीं जानती कि वह ज्योतिष को मानते हैं या नहीं, लेकिन अगर उन्हें अभी तक कोई मुहूर्त नहीं मिला है, तो हिन्दुस्तान की वर्किंग क्लास इस बिल को लाने के लिए मुहूर्त निकालने के लिए तैयार है। क्योंकि इस के बारे में दो साल बहुत ही टाइम हो गया है। आप जब तक कायम बिल नहीं लाते हैं और हर साल ऐसा ही बिल लाते हैं तब तक उस से कुछ होने वाला नहीं है। हिन्दुस्तान की वर्किंग क्लास में बड़ा डर पैदा हो रहा है। आप जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल लाए हैं उस से वर्किंग क्लास को यह जरूर डर पैदा हो रहा है कि आगे आने वाले दिनों में आप का क्या इरादा रहेगा। इसीलिए आप को यह चाहिए कि आप एक कांम्प्रिहेंसिव, पूरा बिल लाएं। इस बिल में पुराने बिल की तरह ही मैक्सिमम बोनस के ऊपर आप ने पाबन्दी लगायी है। अभी दो तीन वक्ताओं ने इसके बारे में कहा है, वायलर रवि और दूसरों ने भी कहा है, मैं उस में ज्यादा जाना नहीं चाहती हूं। लेकिन ऐसी कम्पनियां हैं जिन्होंने बहुत मुनाफा कमाया है। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं रिजर्व बैंक के बुलेटिन से बताती कि उन्होंने कितना नफा कमाया है। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कास्ट आफ प्रोडक्शन में मजदूर का जो वेजेज जाता है, उस का जो शेयर है वह कम होता जा रहा है। इस के मानी यह हैं कि आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी कास्ट आफ प्रोडक्शन, हम मजदूरों को पैसा देते हैं, पगार देते हैं, इसलिए बढ़ी है। यह बात नहीं है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह बताया गया है। तो एक तरफ तो यह होता जा रहा है और दूसरी तरफ प्राफिट बढ़ जाते हैं, इतना ही नहीं अभी आप के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर यहाँ नहीं हैं, मजदूरों के बहुत बड़े नेता वह हैं, पता नहीं उनको यह पता है या नहीं, लेकिन यह उन

को ध्यान में रखना चाहिए कि उन कम्पनियों को ग्रौर मिल मालिकों को बहुत बड़ी सहूलियत मिल रही है । जूट मिल वाले, टेक्सटाइल मिल वाले कहते हैं कि हम सिक हैं तो उनको ड्यूटी की सहूलियत देते हैं, उन को बैंकों से मदद देते हैं, लेकिन मजदूरों के लिए क्या है ? मजदूरों के लिए कुछ नहीं होता है । उन को केवल 8.33 परसेंट बोनस मिलता है । जब ये सो-काल्ड सिक मिल्स या कंसर्न्स ग्रच्छे हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं तो फिर ग्राप उन के पास दे देते हैं, जिस में वे फिर उन को सिक बनाएं । मजदूरों का बीच में कोई फायदा नहीं होता है । ग्राप को इस के लिए कुछ करना है । ऐसा लगता है कि बोनस कुछ मेहरबानी है, ऐसा ग्राप देखते हैं । इसीलिए कहते हैं कि प्राफिट होता है तो देंगे या ज्यादा होता है तो देंगे । मजदूरों की तनख्वाह ग्राज भी कितनी कम है ग्रौर यह तो उन की डेफर्ड वेजेज है । यह ग्राप ने ग्रपने एलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कहा है कि उन की डेफर्ड वेजेज की तरह इस को देखेंगे । जब तक उस तरह ग्राप नहीं देखेंगे तब तक यह प्राबलम ऐसी ही रहेगी ग्रौर कम्पनीज तो बहुत चालाक हैं । ग्राप कम्पनीज का हिसाब मजदूरों की यूनियन को देखने नहीं देते । वह उन को देखने देंगे तभी मालूम पड़ेगा कि ये कितनी चोरबाजारी करते हैं, झूठे नाम से कितना लेते हैं ग्रौर मजदूरों को कितना लूटते हैं । इसलिए उन का हिसाब देखने का ग्रधिकार मजदूरों के नुमाइंदों को देना चाहिए । जब तक नहीं देते हैं तब तक इन का हिसाब इसी तरह चलेगा क्यों कि ये दो दो हिसाब रखते हैं ग्रौर बड़े बड़े एकाउंटेंट भी उन को मिले हैं जो दो एकाउंट बनाते हैं । इसलिए उन को यह देखने का ग्रधिकार ग्राप को देना चाहिए ।

दूसरा ग्राप ने यह कहा है कि उन के इन्वेस्टमेंट चार्जेज को बोनस के टाइम पर पहले निकालना चाहिए । यह भी शर्त ग्राप हटाएं । वह प्राफिट बहुत कम दिखाते हैं ग्रौर कहते हैं हम लास में हैं इसलिए 8.33 परसेंट दे देंगे, ज्यादा नहीं देंगे ।

दूसरे, जब ऐग्रीमेंट होता है तो 20 परसेंट से ज्यादा देने के लिए ग्रगर मालिक तैयार है तो ग्राप क्यों बीच में ग्राते हैं, वह हमारी समझ में नहीं ग्राता है । यह तो शुक्राचार्य की भूमिका है, जैसे शुक्राचार्य बीच में ग्रा गए थे ग्रौर पानी नहीं निकला था, इसी तरह ग्राप बीच में मत ग्राइए । यह शुक्राचार्य की भूमिका ग्राप छोड़ दीजिए । जहां मैनेजमेंट ज्यादा देने के लिए तैयार है वहां उसे देने दीजिए ।

दूसरे, ग्रापका जो पब्लिक ग्रंडरटेकिंग है वहां भी लोगों की ग्रंडरस्टैंडिंग होती है मैनेजमेंट से लेकिन वहां एक थ्योरी निकाली है हायर वेज ग्राइलैंड की, मुझे मालूम नहीं, कहां से यह हायर वेज ग्राइलैंड की थ्योरी ग्राप ने निकाली है ।

यह थ्योरी निकाल कर जिन को कुछ मिलना चाहिए उन का भी रोक देते हैं । क्या कहते हैं कि हम डिस्पैरिटी दूर करना चाहते हैं । किस की डिस्पैरिटी ? मजदूर ग्रौर मजदूर की डिस्पैरिटी ? ग्रगर डिस्पैरिटी दूर करना चाहते हैं तो बिरला टाटा की इनकम ज्यादा है ग्रौर सामान्य जनता की इनकम कम है, उन की डिस्पैरिटी दूर करिए । हाई ग्राईलैण्ड वेजेज के नाम से मजदूर मजदूर में फर्क किया जाता है । गरीब मजदूर को ग्राप ज्यादा नहीं देते हैं लेकिन जिसको कुछ मिलता है उसको कम कर रहे हैं । बहुत सारे एग्रीमेन्ट्स हैं, ब्यूरो ग्राफ पब्लिक ग्रण्डरटेकिंग्ज को कह देना चाहिए कि जहां भी कोई ग्रण्डरस्टैंडिंग होती है उसको मान्यता देनी चाहिए ग्रौर ऐसा बिल लाया जाना चाहिए ।

यहां पर रेल मिनिस्टर मौजूद हैं । 1974 में रेल स्ट्राइक पर गए थे । रेल मंत्री ने बहुत ग्रच्छी चीजें की हैं, यह मैं मानती हूं । एक ही ऐसे मिनिस्टर हैं जो सिसियरली काम करते हैं लेकिन मैं ग्रापके द्वारा रेल मिनिस्टर को बताना चाहती हूं कि रेल मजदूरों का जो बोनस का मामला है वह ग्रभी तक तय नहीं हुग्रा है । इसमें ग्राप एक्स-ग्रैशिया वगैरह की बात मत कीजिए । ग्राप देखेंगे कि रेल मजदूरों का वेतन बहुत कम है । शिपिंग इण्डस्ट्री में एक ग्रफसर के टेलीफोन के लिए तीस हजार रुपया खर्च किया जाता है लेकिन जब मजदूरों की कोई मांग ग्राती है ब्यूरो ग्राफ पब्लिक ग्रण्डरटेकिंग्ज में तो वे कहते हैं कि यह नहीं मिलेगा । इसी तरह से पोस्ट एंड टेलीग्राफ के मजदूरों की हालत है । ग्राज एक पोस्टमैन को क्या मिलता है ? कुछ भी नहीं मिलता है । इसलिए पोस्ट ऐंड टेलीग्राफ तथा रेलवे के मजदूरों को बोनस मिलना चाहिए । हमारे मंत्री जी जब मिनिस्ट्री से बाहर रहते हैं तब इस बात को कबूल करते हैं लेकिन जब मिनिस्ट्री में जाते हैं तब कठिनाइयां ग्रा जाती हैं । उन्हें इन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए । मुझे मालूम है कि रेल मंत्री इसके लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन खाली कोशिश से कुछ नहीं होगा । ग्रगर ग्राप दबाव लाना चाहते हैं तो मजदूर ग्रापके पीछे रहेंगे ।

इसी तरह से बीड़ी उद्योग की बात है । जो बीड़ी की फैक्टरीज भी हैं वहां भी बोनस नहीं मिलता है । इन मजदूरों के लिए भी कुछ करना चाहिए । ग्राज ही यहां पर ग्रापको ग्राश्वासन देना चाहिए कि कब तक ग्राप बिल लाने वाले हैं । हर साल दीवाली ग्रायेगी ग्रौर चली जायेगी, इस तरह से काम नहीं चलेगा । इस देश में केवल पश्चिम बंगाल ही एक ऐसी स्टेट है जिसने ग्रपने स्टेट गवर्नमेन्ट एम्पलाईज को सौ रुपए का बोनस, एक्स-ग्रैशिया पेमेन्ट दिया है । बाकी किसी भी स्टेट में यह नहीं दिया गया है । तो इसके बारे में भी कुछ करना

[श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर]

चाहिए। बैंकिंग वगैरह के बारे में जो आपने कहा है उससे मैं सहमत हूं और उसके लिए आपको बिल लाना चाहिए। बस इतना कहना चाहती हूं।

DR. BIJOY MONDAL (Bankura): Madam Chairman, I rise to support the Bill. Though I welcome this Bill, I find that many of the labourers of different sections have not been included and they are being deprived of the facility of getting bonus.

During the Emergency, the then Congress Government deprived the labourers from their right of getting bonus. But now our Government has decided to restore the same to the labourers. This principle has been adopted and it has been mentioned in the election manifesto of our party. It has been accepted that it is a deferred wage and the working classes should get it. Everything is being decided in an *ad hoc* manner. Therefore, I would request our Labour Minister to bring a comprehensive Bill so that all sections of the workers benefit out of it.

In our election manifesto, we have promised that the bonus should be treated as a deferred wage and, naturally, if we are sincere to our promises to the working class, then, I think, we should include all sections of the working class. It is found that the railwaymen are not getting it, the defence people are not getting it, the postal and communication people are not getting it and, as our colleague said, the bidi workers, one of the poorest sections of our people, who are deprived of their real wages are also not getting it....

MR. CHAIRMAN: Please continue.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): He is not well.

MR. CHAIRMAN: He can continue tomorrow. I will call the next speaker. For those who are not well, we can make an exception.

Shri R. L. P. Verma.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): सभापति महोदया, मैं अपने श्रम मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं—उन्होंने श्रमिकों के हित के लिए जिस की मांग बराबर उनकी ओर से आती रही है, उन की मांगों की पूर्ति के लिये, उन्होंने अध्यादेश जारी करवाया और उसी को अनुमोदित कराने के लिये वे इस बिल को यहां लाये हैं। यह सही है कि 8.33 प्रतिशत बोनस उन्होंने गत वर्ष भी दिलाया था और इस वर्ष भी उसी को दे रहे हैं। इससे मजदूरों के हितों की उपेक्षा नहीं हुई है। आपातकाल में बोनस को घटा कर केवल 4 प्रतिशत कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने 8.33 प्रतिशत देकर एक प्रगतिशील और उत्साहवर्धक कदम उठाने का प्रयास किया है। इस के लिये मैं मंत्री महोदय का पुनः धन्यवाद दूंगा।

यह बोनस एक तरह से जो कल-कारखाने उद्योग-धन्धे हैं, उनसे आय और व्यय के बाद जो लाभ होता है, उसके बटवारे के सिद्धान्त को लेकर है। किसी उद्योग से हुआ लाभ केवल मेनेजमेंट ले जाए, क्या मेनेजमेंट मजदूर का शोषण करता रहे? उद्योग में धन मजदूर के परिश्रम से कमाया जाता है। वह धन मेनेजमेंट को चला जाता है। इसीलिए उसका सही सही वितरण होना चाहिए। यह प्रणाली आज ही नहीं है, वेद शास्त्रों में भी इस बारे में बताया है—'कस्य स्वधनम'—धन किसका है, 'त्यक्तेन भूंजी था'—त्याग के साथ इसका व्यय होना चाहिए इसका उपयोग होना चाहिए। इसी सिद्धात के आधार पर लाभांश का बंटवारा मजदूरों में होना अत्यन्त आवश्यक है।

माननीय मंत्री जी जो बिल लाये हैं, यह व्यापक बिल नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार और मजदूरों का हित सुरक्षित रखने के लिए एक, सर्वांगीण विधेयक आना चाहिए, कम्प्रीहेंसिव बिल आना चाहिए ताकि बोनस के प्रश्न पर मजदूरों में जो यह भावना बनी रहती है कि बिना हंगामे, बना हड़ताल, बिना घेराव के उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, वह भावना दूर हो। इस तरह की अनिश्चितता का वातावरण दूर करने के लिए सरकार को निश्चित रूप से एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए। इसमें यह व्यवस्था होनी चाहिए कि, लाभांश का बंटवारा मजदूरों में कानूनी तरीके से होगा। मजदूर चाहे सार्वजनिक संस्थान के हों या निजी क्षेत्र के हों, किसी और उद्योग धंधों में काम करने वाले हों उन सभी में लाभांश का बंटवारा कानूनी तरीके से करना चाहिए। जो यह नहीं करता है उस पर कड़ी कायवाही की व्यवस्था इस बिल में होनी चाहिए। क्योंकि मजदूर के श्रम पर सारा देश खड़ा है। जब तक मजदूर

खड़ा है तब तक राष्ट्र खड़ा है । मजदूर के बलबूते पर ही यह राष्ट्र चल रहा है । मजदूर के प्रति जो शोषण की, उपेक्षा की नीति अपनायी जाती है उससे राष्ट्र के निर्माण में खलल और व्यवधान उत्पन्न होता है । इससे हर जगह पर हड़ताल होती है और हड़तालों में महीनों तक मजदूर फंस जाते हैं । इस तरह से देश के उत्पादन में हानि होती है । इसलिए मजदूर हित के लिए, उद्योग हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए यह जरूरी हो कि कोई भी प्रतिष्ठान हो, चाहे वह केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित हो या निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हो, किसी निजी कम्पनी द्वारा संचालित हो, उन सब के मजदूरों को बोनस मिलेगा ।

रेलवे में 15 लाख मजदूर लगे हुए हैं, प्रतिरक्षा विभागों में भी लाखों लोग लगे हैं, और भी बहुत से संस्थानों में मजदूर काम कर रहे हैं, उन सब की अभी तक उपेक्षा की गयी है । कुछ सरकारी प्रतिष्ठानों में काम कर रहे मजदूरों को तो बोनस मिले, कुछ में काम कर रहे मजदूरों को बोनस न मिले, ऐसी दृष्टि सरकार की नहीं होनी चाहिए । मजदूर मजदूर है । वह राष्ट्र का निर्माण कर रहा है । चाहे वह किसी भी क्षेत्र में लगा हुआ है, उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । इसलिए यह आवश्यक है कि मजदूर में यह मनस्थिति पैदा न की जाए कि उसको मांगे बिना मांगे पूरी नहीं होती हैं । जहां कहीं भी मजदूर हो, सभी जगह के मजदूरों की मांगे पूरी होनी चाहिए । मजदूर की भी यह भावना होनी चाहिए कि —

राष्ट्र के हित में करेंगे काम
काम के लेंगे पूरे दाम ।

सरकार की भी यह नीति होनी चाहिए कि जिससे उत्पादन भी बढ़े और उस उत्पादन के लाभ का बटवारा मजदूर में भी हो । इसके लिए मैं चाहूंगा कि यह कानून बहुत सोच विचार करके, सभी दृष्टिकोणों से विचार करके बनाया जाना चाहिए । एक स्थायी कानून बनाया जाना चाहिए । ये जो बराबर हड़ताल और हंगामे होते रहते हैं, अभी खाद्य निगम के दो हजार मजदूर बरनाला साहब के यहां बैठे हैं, एक लाख से ऊपर विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जो यह कह रहे हैं कि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है, वे कहते है कि हम सरकार से निवेदन कर चुके हैं लेकिन सरकार विचार नहीं कर रही और इसके कारण उद्योग धंधे बंद पड़े हैं तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी । तुरन्त ध्यान देना चाहिये । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मजदूरों ने सोचा था भूतलिंगम कमेटी जो बनी थी वह कुछ उनके हित में बात कहेगी, लेकिन उसके विपरीत हुआ । इस कमेटी ने दीर्घकालीन योजना के रूप में जो नीति निर्धारित करने के लिये सुझाव दिया है, उससे मजदूर वर्ग असंतुष्ट है । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी सभी मजदूर संगठनों को एक साथ बुलाकर बोनस के लिये क्या औचित्य होना चाहिये इस बारे में उनसे विचार करें जिससे मजदूरों में जो एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है वह समाप्त हो ।

अभी भी खाद्य मंत्री जी के घर के बाहर खाद्य निगम के मजदूर धरना दिये बैठे हुए हैं उनकी समस्याओं का हल होना चाहिये और मंत्री जी को उनसे बातचीत करनी चाहिये । उनकी मांगे है कि सरकारी प्रतिष्ठान में जो ठेकेदारी सिस्टम है जिसके माध्यम से वह उनके शोषण का अड्डा बना दिया गया है उसको समाप्त कर के सरकार को मजदूरों से सीधे बातचीत करनी चाहिये ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

*SHRI A. ASOKARAJ (Perambalur): Madam Chairman, on behalf of my party, the All India Anna D.M.K., I rise to say a few words on the Bonus (Amendment) Bill. Our hon. Minister of Labour, who is committed to the welfare of workers in the country, has piloted this Bill and I am sure that all the workers of the country would be able to get their legitimate dues. At the same time, I would like to draw your attention to the dismay of those interested in the welfare of labour why the Janata Government has not so far been able to do much as it should have been, inspite of the fact that Sarvashri Madhu Dandavate and Shri George Fernandes besides our Labour Minister, Shri Ravindra Varma, are in the Council of Ministers.

It cannot be contradicted that Sarvashri Madhu Dandavate and Shri George Fernandes are undisputed labour leaders, whose espousal of labour cases has earned country wise encomium and admiration. Yet, the Railway Workers and the P & T Workers, who constitute a major component of work force in the country have not been able to get bonus. My party, the All India Anna D.M.K. has declared publicly that bonus should become universal so

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri A. Asokaraj]

that the entire work force of the country is enabled to get bonus, which has been accepted by the Janata Party as deferred wage even before it came to power. It has been the unanimous demand of all representative Labour Unions in the nation that the minimum of 8.33 per cent should be enhanced at least to 10 per cent. I am sure that the hon. Minister of Labour would give effect to the entreaties of labour unions. The present Bonus law prohibits payment of bonus beyond 20 per cent even if the managements make massive profit and they are in a position to pay and also are willing to pay. This awkward position in law must be changed. soon.

I also demand that Section 34(3) should be deleted so as to make payment of minimum bonus a permanent feature. I would like to point out what a paltry sum a person will get as bonus, if his minimum wage is just Rs. 100. I would plead with the hon. Minister that at least the rate of minimum bonus must be raised in such cases. I would also appeal to him that the workers, who are living in semi-urban centres, are denied their rightful share in profits. For example, the Beedi workers are deprived of their legitimate dues. The hon. Minister for whom labour welfare is the most cherished ideal knows the unhealthy environments in which labour in semi-urban areas live. He is also aware of the horrid conditions of living of these unfortunate men who contribute to the gross national product. I demand that the workers, wherever they are located. whether in urban, semi-urban and rural industrial centres, should get bonus. Our Minister of Labour Shri Ravindra Varma, is also conversant with the ways in which the managements circumvent the labour laws and deprive the workers of their legitimate dues. The Minister should make a thorough study of all these issues and bring forward a suitable comprehensively amended Bill in the interest of workers in the country. He should also ensure effective implementation of other labour welfare laws.

I wholeheartedly support this Bonus Amendment Bill and I request him to make bonus a permanent feature of the statute. The claim for bonus of the Railway workers and P&T workers should not be overlooked for long.

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके जरिये श्रम मंत्री को बधाई देता हूं। इन्दिरा गांधी ने जब सारे रिएक्शनरीज को पकड़कर जेल में डाल दिया था और जितने प्रोग्रेसिव थे, वह राजगद्दी पर बैठे थे तो उस वक्त उन्होंने बोनस बन्द कर दिया। वह तरक्की पसन्दों का राज था और आज वह गंगा का पानी मनस रहे हैं और कहते हैं कि इसे दे दो। जब उनका अपना राज था, तो उन्होंने बन्द कर दिया था और उसे आज श्रम मंत्री ने शुरु किया है।

1937 में जब आजादी नहीं आई थी, उस वक्त कराची में फैसला हुआ था कि कम से कम 100 रुपये मिलना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपया, दस का फर्क होना चाहिये। उस फैसले को किये हुए आज 41 साल हो गये, जब हमने कराची में फैसला किया था तो उस वक्त सवा रुपये का एक मन अनाज आता था और अब सवा रुपए का एक सेर अनाज आता है। 40 गुना का फर्क इस वक्त है। जो उस वक्त फैसला हुआ था कि 100 रुपया कम से कम हो, वह आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई बन्दिश नहीं लगा सकते हैं।

किसी भी चीज को पैदा करने के लिये 3 चीजों की जरुरत है, मेहनत, अक्ल और सरमाया। अगर मेहनत न हो तो आपके पास चाहे कितना ही सरमाया हो, कितनी ही अक्ल हो कोई चीज पैदा नहीं हो सकती है। मेहनत के बल पर ही सब चीजें बनती है। इसलिए मेहनत करने वाले को पूरा पैसा मिलना चाहिए। यह बोनस तो एक तरह से लुकमा है। इससे काम नहीं चलेगा। उन लोगों को लिविंग वेज दिया जाना चाहिए। जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में भी ऐलान किया है कि किसी भी आदमी को उससे कम उजरत नहीं दी जायगी, जिससे वह अपनी जीविका न चला सके, अपने बीवी-व बच्चों का पेट न पाल सकें।

पिछली "तरक्कीपसंद" सरकार, कांग्रेस सरकार, ने बोनस को रोक लिया था। मंत्री महोदय ने उसे "तरक्की" के कदम को खत्म कर दिया है और मजदूरों को बोनस मिलना शुरू हो गया है। इस के लिए में उन्हें बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जब बोनस का मतलब यह है कि साल के बाद मजदूरों को एक महीने की तन्ख्वाह मिल जाय, तो फिर उनकी महीने की तन्ख्वाह ही क्यों न बढ़ा दी जाये, बजाये इसके कि वे लोग मुतालबा करते रहे कि उनका बोनस बढ़ाया जाये, सवाल कानसिलियेशन बोर्ड में चला जाये और लंबा सिलसिला चलता रहे। इस लिए मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह मजदूरों की तन्ख्वाह इस तरह

मुकर्रर करवायें कि उन्हें बोनस का मुतालबा करने की जरूरत ही न पड़े, उन्हें अपनी मेहनत का पूरा पैसा मिले और वे ठीक ढंग से काम कर पायें। अगर वे ठीक ढंग से काम न कर पायें, अगर उनका पेट भूखा हो, अगर उनके बीवी-बच्चे भूखे नजर आयें, अगर उनके तन पर कपड़ा न हो, सिर छिपाने के लिए मकान न हो, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश में काम करने वाले मेहनत से काम करें ?

ये हमारे ही देश के बच्चे हैं, जो बाहर जाकर अरबों के रेगिस्तान को आबाद कर रहे हैं। वे उन देशों में हास्पिटल, सड़कें, मकान और स्कूल बना रहे हैं। अगर उन लोगों को यहां सुविधा दी जाये, तो इस देश में किस बात की कमी है ? इस देश की धरती में सब चीजें पैदा होती है। यहां के लोगों के दिमाग दुनिया के और मुल्कों के लोगों के दिमाग से कम नहीं है, दूसरों से ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। अगर अरबों के रेगिस्तान हिन्दुस्तान की लेबर से आबाद हो सकते हैं, तो उनके जरिये हम अपने देश में भी सब काम पूरे कर सकते हैं, स्कूल-कालेज और हास्पिटल बना सकते हैं, रेलवे को एक्सटेंशन कर सकते हैं, और यह देश बहुत तरक्की कर सकता है—लेकिन सिर्फ उसी सूरत में, जबकि इस देश में काम करने वालों को अपनी मेहनत की पूरी उजरत मिले, वे किसी के मोहताज न हों।

MR. CHAIRMAN: Shri Chitta Basu. He is not here. Mr. A. K. Roy.

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): Comrade Chairman, it is not befitting I should say, for a highly competent Labour Minister to come out with such an incompetent Bill. It smacks so openly of ad hocism.

Madam, Chairman, sometime back, they told us of a rolling Plan. I do not know whether this is an experiment of a rolling Bill. Every year they will come out with some Bill; they will come out with some *ad hoc* provisions and, in this way, they want to solve the industrial unrest and the crisis of the working-class of India. Comrade, Chairman, bonus has been defined in various ways. Whether it is a deferred wage or whether it is a part of the allocated surplus or whether it is part of the profit or not, I want to know whether the workmen have got any claim on that.

I consider that bonus is the barometer of justice available to the society. It indicates the plight of the working class in society. Whenever the place of working-class in the society went up higher and higher, the working-class clamoured for more bonus and the government has to come down to seek terms with the working class to give some justice in one form or the other.

Comrade Chairman, you know the history of bonus. It is a long one. It started with the First World War when the entire capitalist industrialist had to give to the workers the war bonus. After that as gradually the trade union organisations started organising the workmen, the workmen started putting their claims. Even in British Raj many of our national leaders had to entangle and involve themselves in seeking bonus for the workmen. After that in the Second World War the industrialists of the country got fabulous profit and in that profit when the workmen wanted to put for ward their claim there was a big upheaval and turmoil in the working class movement and this upheaval and turmoil of the working class movement when it was connected with the nationalist movement it forced the British to leave India. In this way the struggle for bonus is connected with the struggle for national liberation; the struggle for bonus is connected with the working class movement.

Comrade Chairman, bonus is connected with the organisational capability. After that in varous forms the working class had to fight to get their right of bonus which they had got during the days of British regime and, you know, in various forms the struggle continued even during the Congress rule and it forced the Congress Government to set-up a bonus commission. Now, there are certain days which are important in the history of labour struggle and all those days are concerned with the question of bonus. Sir the bonus commission which came after December 1961 gave its report in 1964 and on the basis of that report in 1965 the Bonus Act came into being. What I want to impress is that [illegible]

अगर हुकूमत से नाजायज फायदा उस की [illegible]

[Shri A. K. Roy]

whenever there is some political change and whenever there is some political upheaval and whenever the entire nation was poised for some better future the question of bonus came.

MR. CHAIRMAN: I would request the hon'ble members from all sides to kindly cooperate with the Reporters and keep their voices subdued so that it will not disrupt the reporting.

SHRI A. K. ROY: Comrade Chairman, nobody is interested with the bonus. They are only interested when they will go outside because then they will be surrounded by workmen.

Comrade Chairman, as I was telling you the question of bonus is connected with the stage of the working class organisation and is connected with their place in the Indian politics. On all the occasions when the place of the working class rose high in the society they got more bonus and the ruling class had to come down to seek some adjustment with them. In those early days and after Independence also we saw the same thing and the days between 1961 to 1964 were also crucial days for Indian politics.

After two years this led to the downfall of the congress Ministries throughout India. The United Front Ministries came in. In that time there was a Bonus Commission. The Bonus Act of 1965 came and it was passed.

And after that, Madam Chairman, you will remember that a second phase of politics came in the Indian political scene. That came, Comrade Chairman, after 1970. A new faith, a new working class awareness came, and in that time also, a spate of United Front Governments came all over India. There was a new awareness among the working class at that time. That time the ruling class had to come to their help...

MR. CHAIRMAN: Please try to conclude now.

SHRI A. K. ROY: Madam Chairman, at that time the ruling class had to come up with a Bonus review Committee. That Bonus Review Committee determined whether bonus was a question of deferred wage or bonus was a question of workers' part of allocable surplus. That Bonus Review Committee also considered who are eligible to get bonus.

Comrade Chairman, as there is no time, I would like to point out what the Railway Minister said then. The hon. Railway Minister is sitting here. Hon. Members are searching for Industries Minister who is not visible. But the Railway Minister is here. Comrade Chairman, you will be surprised to know this. I am reading out his statement. I am quoting him.

MR. CHAIRMAN: Please do it very briefly.

SHRI A. K. ROY: I am quoting him.

MR. CHAIRMAN: Please try to conclude. I have rung the bell twice.

SHRI A. K. ROY: Just one minute. This is what he said on the 4th December, 1972 on the Bonus Bill. I would like to repeat here what he said then. Mr. Dandavate was saying this at that time.

MR. CHAIRMAN: Will you kindly conclude now?

SHRI A. K. ROY: Half a minute more. Half a minute is there.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI A. K. ROY: This is what Mr. Dandavate said on 4th December, 1972:—

"The gap between minimum wage and living wage exists in all States. Once you accept this point you will see the logical extension of this argument to extend the scope of Bonus Act to other categories of employees engaged in Railways, Defence Banks, Private and Public Sectors and Local Bodies. The Central and State Government employees must be

brought within the ambit of the Bonus Act. I have stated specifically that every employee means the employee of Central or State Governments or Local Bodies, all public institutions, including departmentally-run undertakings like Railways, P&T, Defence, Civil Aviation, Banks and Insurance Companies."

MR. CHAIRMAN: Now you can resume your seat...

SHRI A. K. ROY: But, ...

MR. CHAIRMAN: No question of 'but'. Kindly resume your seat. I have rung the bell several times. I am calling the next speaker. Mr. Harikesh Bahadur—not here. Mr. Chitta Basu—not here. Prof. Mavalankar.

PROF. P G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Madam, I am very glad that the Janata Government has come forward with this Bill replacing an ordinance, because, in respect of what was done in a most shabby and cruel manner during the emergency, by letting the workers lose their right of a well earned bonus, now, the new Government has at least restored that situation and the workers are now going to continue getting the bonus. But Madam Chairman, it is not a mere question of giving bonus to the workers. The question is, how the Parliament look at it ..

14.58 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MR. SPEAKER: This debate will continue later.

MOTIONS *RE*: THIRD REPORT OF COMMITTEE OF PRIVILEGES—*contd.*

MR. SPEAKER: Mr. Dhondge.

श्री एस० एल० पटवारी (मंगलदाई) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

MR. SPEAKER: You can't have a point of order in a vacuum. Mr. Dhondge.

श्री केशवराव धोंडगे (नांदेड़) : मदर साहब, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह जो प्रिविलेज कमेटी की फाइंडिंग्ज हैं और आनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रेजोल्यूशन है उसकी मैं ताईद नहीं कर सकता । मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उसकी मुखालिफत करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं । इसके मायने यह नहीं है कि मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी की ताईद करता हूं । मैं ताईद करता हूं, जमहूरियत की, मैं ताईद करता हूं पब्लिक की, मैं ताईद करता हूं सोशलिज्म की । यह अफसोस की बात है कि गए दो साल में आप बाहर कुछ नहीं कर सके और आज यहां पर अक्सरियत के नाम पर बदला लेने की कोशिश करें तो मेरे खयाल से यह जमहूरियत के खिलाफ आप बगावत कर रहे हैं । लोगों के खिलाफ, समाजवाद के खिलाफ बगावत कर रहे हैं । मैं मानता हूं कि आपकी यह इस हाउस में अक्सरियत की राय है । इस का मतलब है कि आप इन्दिरा जी को सैंट्रल हाल में गोली से उड़ा सकते हो, इतना ही नहीं पार्लियामेन्ट के सामने जिन्दा जला सकते हो ......(व्यवधान) क्योंकि आप के पास अक्सरियत है ....(व्यवधान)..... मेरा बोलने का हक है, इसलिये मैं जरूर बोलूंगा । आपके रोकने से मैं नहीं रुकूंगा ।

15 hrs.

मैं आपके मोशन की ताईद नहीं करना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि एमर्जेंसी में और मेरी पार्टी के हजारों लोग जेल में भेजे गये थे । मेरे अपने ताल्लुक कन्धार में 350 से ज्यादा लोग एमर्जेन्सी के खिलाफ सत्याग्रह कर के जेल गये थे । 11 से 19 महीने तक हम लोग जेलों में डिटेन्शन में रह चुके हैं और इन माताजी की मेहमाननवाजी हम ने जेल में लूटी है । मेरे अपने गांव बहादुरपुरा से मेरे साथ 10 लोग डिटेन्शन में थे । लेकिन इस के यह मायने नहीं हैं कि हम आप की हर गलत बात की ताईद करें । आप को जनता ने अक्सरियत दी, इस के मायने यह नहीं हैं कि आप कानून अपने हाथ में लेकर जो चाहें करें । ऐसा कर के आप लोगों के और इन्साफ के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, इस का सिला आप को जरूर मिलेगा ।

अगर बाहर इंदराजी के खिलाफ आप कुछ कार्यवाही कर सकते हैं तो जरूर कीजिये—इन्दिरा गांधी के फरजन्द संजय गांधी के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के फरजन्द कान्ति देसाई के खिलाफ, डिफेन्स मिनिस्टर के फरजन्द सुरेश बाबू के खिलाफ और हमारी औलाद के भी खिलाफ । क्योंकि जिन मां-बाप के हाथ में हुकूमत की बागडोर आती है, बागडोर के बाद अगर उन की औलाद कोई नाजायज काम करती है तो उन को सजा दिया जाना बहुत जरूरी है, ताकि दुनिया को मालूम हो जाय कि हुकूमत में कोई भी रहे, अगर हुकूमत से नाजायज फायदा उन की औलाद